उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या– 01 /सैतीस–2–2021–5(53)/18टीरी–2
लखनऊ :: दिनांक– 01 जनवरी, 2022

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश का संरक्षण एवं भरण–पोषण वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। प्रदेश के समस्त जनपदों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना एवं गोवंशं को संरक्षित किये जाने हेतु व्यापक नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या– 4324/सैतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है। उक्त के क्रम में प्रदेश में लगभग 7.8 लाख गोवंश संरक्षित कर लिये गये हैं, किन्तु अभी भी लगभग 04 लाख गोवंश को संरक्षण प्रदान किया जाना शेष है। इन निराश्रित/बेसहारा गोवंश के विचरण करते हुए किसानों के खेतों तक पहुंच कर उनकी फसलों को क्षति पहुंचाने की संभावना बनी रहती है। उक्त के अतिरिक्त सड़को/रेल मार्गो पर उनके दुर्घटनाग्रस्त के भी कारण होते हैं। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में शेष निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

2– अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. दिनांक 01 जनवरी से 10 जनवरी, 2022 तक "दस दिवसीय गोवंश संरक्षण अभियान" विशेष अभियान के रूप में चलाकर गोवंश को निकटस्थ स्थायी/अस्थायी आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये।
2. इस अवधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 गोवंश के संरक्षण करवाये जाने का लक्ष्य दिया जाय। इसके अतिरक्त पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनका कार्यक्षेत्र निराश्रित गोवंश मुक्त हो गया है।
3. इस प्रकार नगरीय निकायों द्वारा भी अपने क्षेत्र में विचरण करने वाले शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जायेगा।
4. अभियान के अन्त में 11 जनवरी, तक सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय कि पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 3256/सैंतीस–2019–30(4)/2019 दिनांक 08 अगस्त, 2019 व शासनादेश संख्या 4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19 दिनांक 12 सितम्बर, 2020 में प्रदत्त व्यवस्था अंतर्गत प्रत्येक गाँव सभा द्वारा अधिकतम मात्रा में निराश्रित गोवंश या तो सहभागिता योजना/कुपोषण योजना के अन्तर्गत संरक्षण हेतु हस्तगत करवा दिये जाय या संबंधित गो आश्रय स्थलों में पहुंचा दिये गये हैं।
5. पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश को पकड़ने हेतु स्थानीय निकायों/संस्थाओं को तकनीकी सहयोग यथा बड़े नर गोवंश को शेडेशन करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संरक्षित करवाये गये गोवंश की टैंगिग एवं नर गोवंश का बधियाकरण अनिवार्य

रूप से हों। पशुपालन विभाग द्वारा संरक्षित गोवंश की यथा आवश्यकता सरागय चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त गो–आश्रय स्थल पर हरे चारे की उपलब्धता हेतु तकनीकी परामर्श भी दिया जायेगा तथा चारा बीज की उपलब्धता अन्य योजनाओं यथा मनरेगा से डबटेलिंग के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।

6. ऐसी ग्राम सभा जो निराश्रित गोवंश से मुक्त होगी को प्रशस्ति पत्र शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस–2 –2018–5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की अनुशंसा द्वारा दिया जायेगा। उक्त ग्राम सभा में पशुपालन विभाग में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं यथा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, पशुधन बीमा, टीकाकरण, चारा विकास/प्रदर्शन, बैकयार्ड कुक्कुट विकास, पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन आदि से आच्छादित किया जायेगा।
7. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा अन्य समन्वयकारी विभागों यथा पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग, दुग्ध विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, गन्ना विकास विभाग, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग सिंचाई विभाग के समन्वय से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से उक्त ग्राम सभा को अतिरिक्त कार्य/कार्यक्रम से आच्छादित कराएगें।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में गोवंश सड़कों/मार्गो तथा सार्वजनिक स्थानों या खेतों में विचरण करते हुए न पाये जायें और किसी भी गोवंश की ठंड के कारण मृत्यु न हो। ठंड एवं सामान्य बीमारियों से बचाव हेतु पशुपालन विभाग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
9. इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पशु प्रेमियों एवं जनसामान्य से भी सहयोग प्राप्त किया जाये।
10. इस अभियान के संचालन हेतु खण्ड विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

उक्त कार्यक्रम/अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि में पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी जिले में रहकर अनुश्रवण, समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं। इस हेतु गुगल फार्म विकसित कर जनपदों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई सें अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 01-01-2022 18:16:42
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।